कार्यालय जिलाधिकारी, कन्नौज ।

संख्या 35 /आबकारी/व्यवस्थापन/ई–लाटरी/2018–19/दिनांक 6 ,अप्रैल 2018

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति संख्या 46097/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति /2018–19/इलाहाबाद दिनांक : मार्च 17, 2018 एवं इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 836/जि0आ0अ0/कन्नौज/ व्यवस्थापन/ई–लाटरी/2018–19/दिनांकःमार्च,19 2018 कम में सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 हेतु जनपद की द्विमीय चरण की ई–लाटरी दिनांक 26.03.2018 के पश्चात तृतीय चरण ई–लाटरी द्वारा व्यवस्थापन हेतु अवशेष देशी शराब की दुकानों का विवरण निम्नवत हैः–

देशीशराब

| क 0सं 0 | दुकान का नाम | प्रास्थिति | वार्षिक एम0जी0क्यू वर्ष 2018–19 | बेसिक लाइसेंसफीस वर्ष 2018–19 | लाइसेंसफीस वर्ष 2018–19 | धरोहर धनराशि बे0ला0पफी0 का 1/10 | प्रतिभूति धनराशि ला0फी0 का 1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रेमपुर बाजार | ग्रामीण | 27312 | 764736 | 6063264 | 76473.6 | 606336.4 |
| 02 | जरिहापुर | ग्रामीण | 23352 | 653856 | 5184144 | 65385.6 | 518414.4 |
| 03 | अरूहा | ग्रामीण | 18252 | 511056 | 4051944 | 51105.6 | 405194.4 |

पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के दृष्टिकोण से जनपद कन्नौज की द्वितीय चरण ई–लाटरी के पश्चात अवशेष देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन ऑन–लाइन आवेदन आमंत्रित कर ई–लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। किसी दुकान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। किसी भी आवेदक के पक्ष में (स्वयं अथवा सहआवेदक के साथ) एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी। दिनांक 19.03.2018 व दिनांक 26.03.2018 को ई–लाटरी द्वारा जनपद में जिस आवेदक को कुल 02 दुकाने आवंटित हो चुकी है, उनको इस चरण में अवसर नहीं दिया जाएगा।

किसी दुकान हेतु एकल आवेदक की स्थिति में, आवेदन नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर दुकान का व्यवस्थापन संबंधित आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऑन–लाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस भी ऑन–लाइन ही जमा की जायेगी। देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस रू0 15,000/– तथा उसपर देय जी0एस0टी0 18% भी नियमानुसार ऑन–लाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों द्वारा ऑन–लाइन फीस जमा नहीं की जायेगी तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गतवर्ष का आयकर रिटर्न व हैसियत प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जायेगी, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**हैसियम प्रमाण पत्र–किसी अनुज्ञापन में सह आवेदक होने की दशा मे आवेदक को अनुज्ञापन की वाछिंत सीमा के समतुल्य सालवेन्सी धारण करना आवश्यक होगा तथा चयन की दशा में आबकारी नीति दिनांक 25.01.2018 के प्रस्तर–7.9 के प्राविधानों के अनुसार सह आवेदक को भी अनुज्ञापन की वाछित सीमा के समतुल्य सालवेन्सी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार धरोहर धनराशि का डी0डी0 ऑन–लाइन अपलोड करना होगा व कार्यालय में जमा करना होगा। चयनित आवेदकों को पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी कार्यालय में जमा करनी होगी। जमा धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा शेष बेसिक लाइसेंस फीस चयन के उपरांत 03 कार्य दिवस में तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग चयन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर तथा शेष आधा भाग अगले 10 दिन में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में जमा धरोहर धनराशि जब्त कर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

ई–लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट http://upexciseelottery.gov.in के अतिरिक्त जनपद कन्नौज की वेबसाइट www.kannauj.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

ई–लाटरी हेतु दिशा–निर्देशः–

| | |
|---|---|
| आनलाइन आवेदन करने की अवधि | 07.04.18 की प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 12.04.18 को रात्रि 11.30 बजे तक |
| ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण | 13.04.18 से 15.04.18 तक |
| ई–लाटरी का दिनांक व समय | 16.04.18 को प्रातः 09 बजे |
| ई–लाटरी का स्थान | कलेक्ट्रेट सभागार, कन्नौज |

ई–लाटरी से सम्बन्धित प्रेच्छाओं के समाधान के लिये आवेदक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कन्नौज के हैल्प डैस्क नम्बर 9454467084 तथा जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षकों से उनके मोबाईल नम्बर 9454465675, 9454466324, 9454466325, 9557498286 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

06/4/18

जिला आबकारी अधिकारी,
कन्नौज।

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
कन्नौज।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रधान सम्पादक हिन्दी दैनिक– दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति आगामी अंक में न्यूनतम सरकारी दर पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें एंव बिल जिला आबकारी अधिकारी कन्नौज के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत करें।

2–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कन्नौज को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराये।

06/4/18

(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
कन्नौज।